बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री अनिल कुमार सिन्हा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिवान सदर प्रखंड (विभागीय अधिसूचना संख्या– 3094 दिनांक– 29.06.2018 द्वारा डिहरी रोहतास मे नव पदस्थापित) के विरूद्ध सरकारी कार्य एवं कर्त्तव्य के प्रति घोर उदासीनता, लाभुकों का भौतिक सत्यापन नहीं करना, ई0बी0 कोड एवं आवंटन सम्बद्धतता मनमाने ढंग से करना संबंधित जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक–302 दिनांक– 16.05.2018 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक– 3259 दिनांक– 10.07.2018 द्वारा श्री अनिल कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय उप निदेशक, खाद्य का कार्यालय पूर्णियॉ प्रमंडल पूर्णियॉ निधारित किया गया ।

2. श्री सिन्हा की पत्नी द्वारा दिनांक– 24.07.2018 को समर्पित आवेदन में श्री सिन्हा के हृदय रोग तथा मधुमेह से गंभीर रूप से ग्रसित होने संबंधित चिकित्सकीय प्रतिवेदन संलग्न करते हुए श्री सिन्हा का निलम्बन अवधि में मुख्यालय उप निदेशक, खाद्य का कार्यालय, पूर्णियॉ प्रमंडल पूर्णियॉ से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया गया है ।

3. उक्त तथ्यों के आलोक में विचारोपरान्त निलम्बन अवधि में श्री सिन्हा का मुख्यालय उप निदेशक, खाद्य का कार्यालय पूर्णियॉ प्रमंडल पूर्णियॉ के स्थान पर उप निदेशक, खाद्य का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर किया जाता है ।

4. विभागीय आदेश ज्ञापांक– 3259 दिनांक– 10.07.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय तथा इसकी शेष कंडिकाऍ (यथा कंडिका–03) यथावत रहेगी ।

ह0/–
(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08गो0आ0(सिवान)–22/2018 4591 /खाद्य,पटना/दिनांक 20/09/18

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, सिवान/अपर सचिव, वरीय प्रभारी, प्रशाखा–03, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक खाद्य, पूर्णियॉ प्रमंडल पूर्णियॉ/उप निदेशक खाद्य तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिवान/अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री अनिल कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिवान सदर प्रखंड सम्प्रति निलम्बित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/IX/XVIII
सरकार के अपर सचिव ।

D:\backup\Year_2016(PK)\sec-08 (08-09-2016)\sec_8\Off_ord .doc AKS